

प्रेषक,

संजीव मित्तल,  
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 17 जून, 2020

विषय : कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में भुगतान एवं वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में महामारी की रोकथाम सम्बन्धी कार्यों तथा अन्य आवश्यक कार्यों को सम्पादित करने के लिये संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु कैश मैनेजमेन्ट की दृष्टि से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 द्वारा कतिपय दिशा-निर्देश जारी किये गये थे ।

2- कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप प्रदेश के राजस्व में आयी कमी के कारण कैश मैनेजमेन्ट के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं -

- (1) किसी भी प्रकार के एरियर का भुगतान दिनांक 30 सितम्बर, 2020 के बाद किया जायेगा ।
- (2) सभी विभागों से सम्बन्धित अनुदानों के अन्तर्गत मानक मद "24-वृहत् निर्माण कार्य" तथा मानक मद "60-भूमि क्रय" में प्रावधानित धनराशि के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृतियाँ दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त ही जारी की जायेंगी ।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल, 2020 की शेष व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी ।

भवदीय,

संजीव मित्तल  
अपर मुख्य सचिव, वित्त  
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 7/2020/बी-1-306/दस-2020-231/2020, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
- 3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
- 4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
- 5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
- 6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
- 8 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 9 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 10 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित  
विशेष सचिव ।